# आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

## आपूर्ति पुनरीक्षण वाद सं0-152/2016

सीमा देवी.....वादी

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी

## आदेश

06.10.2023

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-510/2021 में दिनांक 07.04.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्न है:-

*".....we set aside the order passed by the Commissioner and remit the matter to him for decision afresh after affording opportunity of hearing to the parties. He shall endeavour to decide the matter expeditiously in any case, not later than eight weeks."*

प्रस्तुत वाद का विषय-वस्तु यह है कि अंचल अधिकारी, उचकागाँव द्वारा दिनांक 10.02.2016 को वादी के जन वितरण प्रणाली केन्द्र के दुकान की जाँच की गयी। जाँच के क्रम में दुकान बंद पाया गया तथा उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा विक्रेता पर राशन-किरासन के वितरण में अनियमितता बरते जाने से संबंधित कतिपय आरोप लगाए गए जो निम्नवत है:-

(i) उपस्थित उपभोक्ता श्री गुंजन कुमार द्वारा बतलाया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा माह नवम्बर एवं जनवरी का राशन नहीं दिया गया हैं।

(ii) मालती देवी पति-श्री रामायण द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता द्वारा माह नवम्बर, दिसम्बर तथा पूर्व के एक महीना का राशन नहीं दिया गया हैं।

(iii) श्री रमेश राम द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता द्वारा तेल का सभी कूपन रख लिया गया हैं तथा माह नवम्बर, दिसम्बर एवं जनवरी का राशन कूपन विक्रेता द्वारा ले लिया गया हैं तथा राशन भी नहीं दिया गया हैं।

(iv) वहाँ उपस्थित 30-35 उपभोक्ताओं द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता द्वारा माह नवम्बर, दिसम्बर का राशन नहीं बाँटा गया हैं। तेल देते समय राशन कूपन मंगाकर विक्रेता द्वारा फाड़ लिया जाता है तथा राशन कार्ड पर राशन चढ़ा दिया जाता है।

(v) अधिकांश लोगों द्वारा बताया गया कि माह नवम्बर, दिसम्बर एवं जनवरी का कूपन विक्रेता द्वारा ले लिया गया है जबकि उक्त माह राशन भी नहीं दिया गया है।

2. अंचलाधिकारी, उचकागाँव के निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में अनुज्ञापन

पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ द्वारा वादी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि विक्रेता द्वारा राशन/किरासन तेल वितरण में बरती गयी अनियमितता को जाँच के बाद गलत साबित करने के उद्देश्य से साक्ष्य का निर्माण किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ के आदेश ज्ञापांक-264/सी0, दिनांक 03.03.2016 द्वारा **सार्वजनिक वितरण (नियंत्रण) संशोधित आदेश 2011** में वर्णित प्रावधान एवं अनुज्ञप्ति शर्तो के उल्लंघन के आरोप में वादी की पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति संख्या-68/07 रद्द कर दी गयी।

3. अनुज्ञापन पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा **सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियत्रंण) संशोधन आदेश 2011 के कंडिका 12(a)** के आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष आपूर्ति अपीलवाद सं0-09/16 दायर किया गया जिसमें दिनांक 03.06.2016 को पारित आदेश में अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया है।

4. अपीलीय प्राधिकार के उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा **सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियत्रंण) संशोधन आदेश 2011 के कंडिका 12(b)** के आलोक में न्यायालय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के समक्ष आपूर्ति पुनरीक्षणवाद सं0-152/2016 दायर किया गया। वाद की सुनवाई के पश्चात दिनांक 09.10.2019 को पारित आदेश में अपीलीय प्राधिकार के आदेश को इस आधार पर यथावत रखा गया कि वादी द्वारा खाद्यान्न का ससमय एवं समुचित वितरण उचित दर पर नहीं किया जाता है, एवं बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण की तिथि को दुकान बंद रखा गया है।

5. पुनरीक्षण वाद को खारिज किए जाने के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-510/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 07.04.2022 को पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद की सुनवाई की गयी है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

6. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि उनके द्वारा जन वितरण प्रणाली केन्द्र के दुकान का संचालन विभागीय निर्देशिका के आलोक में निर्धारित प्रक्रिया से किया जाता है तथा कभी भी अनुज्ञप्ति शर्तो का उल्लंघन नहीं किया गया है। उनके द्वारा अपने उपर लगाए गए आरोपों यथा निरीक्षण के समय दुकान बंद रखे जाने एवं राशन-किरासन वितरण के आरोपों के संबंध में बताया गया कि **सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) रांशोधन आदेश-2011 की कंडिका (6)** में अंकित प्रावधान कि,

(i) जन वितरण प्रणाली की दुकान सप्ताह में प्रत्येक दिन माह सितम्बर से फरवरी तक 8.00 बजे पूर्वा0 से 2.00 बजे अपराहन तक खुली रहेगी, के आलोक में उनके द्वारा अपने पी0डी0एस0 दुकान का संचालन 8.00 बजे पूर्वा0 से 2.00 बजे अपराहन तक किया गया है, परंतु निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में निरीक्षण के समय का उल्लेख न करते हुए त्रुटिपूर्ण रूप से निर्धारित अवधि में दुकान बंद दर्शाया गया है।

(ii) एक उपभोक्ता श्री गुंजन कुमार के विषय में कहा गया कि वे उनके उपभोक्ता नहीं है।

(iii) उनके द्वारा आगे बताया गया कि कई उपभोक्ता यथा श्री भगवान लाल, श्रीमती मालती देवी द्वारा शपथ-पत्र के माध्यम से राशन प्राप्त किया जाना स्वीकार किया है।

(iv) इसके अलावे एक उपभोक्ता श्री रमेश राम द्वारा निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों से इंकार किया गया है।

(v) इस क्रम में उनके द्वारा यह भी कहा गया कि निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा 30-35 उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने का उल्लेख किया गया है, परंतु अनुज्ञापन पदाधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकार के प्रश्नगत आदेश में ऐसे उपभोक्ताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

7. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि वादी द्वारा अनुज्ञप्ति के किन शर्तो का उल्लंघन/अवहेलना की गयी है, यह कही भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी क्रम में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कतिपय वादों में दिए गए निम्नांकित Observation का उल्लेख किया गया है:-

(A) **Sharwan Kumar Paswan Versus The State of Bihar & ors., 2017 (4) PLJR, 89** में अंकित है कि:-

*"Petitioner's licence could not have been cancelled merely because the shop was closed on the day of inspection."*

(B) **Krishna Kumar Srivastava Vs The State of Bihar, 2013(3)PLJR, 249** में अंकित हैं कि:-

*" In a show cause notice issued to a PDS dealer by licensing authority on the basis of statements of consumers, names of such consumers should be furnished to the dealer. If any statement was made on the basis of which any enquiry report was submitted. copies of such statement and the report should also accompany the show-cause. If the show cause notice is vague and is not accompanied with the relevant materials, the same has to be termed as giving in inadequate opportunity to licence holders. In such circumstances even if dealer files his reply, defect in the notice cannot be condoned and any order passed on the basis of such notice cannot be sustained "*

माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त *observation* के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालीय आदेश को त्रुटियुक्त बताया गया है।

उक्त कथनों के आधार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को स्वीकृत किया जाय।

8. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वादी के तर्कों का खंडन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि **तत्समय प्रभावी सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश-2011 की कंडिका-06 में अंकित** है कि *"....जन वितरण प्रणाली की दुकान सप्ताह में प्रत्येक दिन, माह मार्च से अगस्त तक 7.00 बजे पूर्वा0 से 1.00 बजे अपराहन तक तथा माह सितम्बर से फरवरी तक 8 बजे पूर्वा0 से 2.00 बजे अपराहन तक खुली रहेगी.."*। परंतु वादी द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में अपना दुकान बंद रखा गया है, जो कि अनुज्ञप्ति शर्तो का उल्लंघन है। इसके अलावे कतिपय उपस्थित उपभोक्ताओं यथा गुंजन कुमार, मालती देवी पति श्री रामायण द्वारा बतलाया गया है कि माह नवम्बर, दिसम्बर तथा पूर्व के एक माह का राशन नहीं मिला है। एक उपभोक्ता श्री रमेश राम द्वारा बताया गया कि विक्रेता द्वारा तेल का सारा कूपन रख लिया गया है तथा माह नवम्बर, दिसम्बर एवं जनवरी का राशन कूपन विक्रेता द्वारा ले लिया गया है तथा राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि विक्रेता द्वारा माह नवम्बर एवं दिसम्बर का राशन नहीं बाटा गया है। तेल देते समय राशन कूपन मंगाकर विक्रेता द्वारा फाड़ लिया जाता है तथा राशन कार्ड पर राशन चढ़ा दिया जाता है। अधिकांश लोगों का आरोप है कि माह नवम्बर, दिसम्बर एवं जनवरी का कूपन विक्रेता द्वारा ले लिया गया है जबकि उक्त माह का राशन भी नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा तत्समय प्रभावी **सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश-2011** के प्रावधानों के आलोक में आदेश पारित किया गया है, जिसे यथावत रखा जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया। वादी पर लगे आरोप तथा उक्त के संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के कथन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते है:-

(i) निम्न न्यायालीय आदेश/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के अवलोकन में प्रश्नगत दुकान के निरीक्षण के समय को कोई उल्लेख नहीं पाया गया हैं। निम्न न्यायालीय अभिलेख के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न नहीं रहने के कारण प्रश्नगत दुकान का निरीक्षण निर्धारित अवधि में किया गया है अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं हो पाता है।

(ii) अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश में निरीक्षण के समय उपस्थित 30-35 व्यक्तियों/उपभोक्ताओं द्वारा विक्रेता पर कतिपय आरोप लगाने का उल्लेख किया गया है, परंतु उक्त 30-35 उपभोक्ताओं के नाम का कोई उल्लेख आदेश में नहीं पाया गया है। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण का प्रतिवेदन भी अभिलेख पर संलग्न नहीं पाया गया है।

(iii) निरीक्षण के क्रम में कुछ उपभोक्ताओं यथा श्री गुंजन कुमार, श्रीमती मालती देवी तथा श्री रमेश राम द्वारा वादी पर राशन-किरासन के वितरण में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाने का उल्लेख निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा किया गया है। बाद में उन्ही उपभोक्ताओं द्वारा शपथ-पत्र के माध्यम से अपने आरोपों से इन्कार किया गया है।

(iv) इसके अलावे वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए Krishna Kumar Srivastava Vs The State of Bihar 2013(3)PLJR 249 में माननीय उच्च न्यायालय के Observation के आलोक में उपभोक्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रति स्पष्टीकरण के साथ वादी को उपलब्ध कराने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं पाया गया है।

(v) अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश में तत्समय प्रभावी सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2011 के किन धाराओं का उल्लंघन वादी द्वारा किया गया है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही उक्त धाराओं के उल्लंघन हेतु अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के विषय में भी संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्पष्टीकरण किए जाने का कोई उल्लेख/साक्ष्य अभिलेख पर नहीं पाया गया है।

ऐसे में उपरोक्त तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए Observation के आलोक में प्रश्नगत आदेश के अवलोकन में तत्समय प्रभावी **सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण)** संशोधन आदेश, 2011 के किन प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में वादी की पी0डी0एस0 अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। साथ ही अभिलेख के अवलोकन में वादी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु समुचित रूप से अवसर दिए जाने के विषय में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ के आदेश ज्ञापांक-264/सी0, दिनांक 03.03.2016 तथा समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा आपूर्ति अपीलवाद सं0-09/2016 में दिनांक 03.06.2016 को पारित आदेश को यथोचित न पाते हुए उसे निरस्त किया जाता है।

तदनुसार प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।